बिजनेसमैन के बेटे को बंधक बनाकर 75 लाख रुपए की लूट की वारदात झूठी निकली

परिवार के लोगों ने ही रुपए चोरी कर झूठी लूटी की कहानी बनाई

जयपुर। राजधानी के विधायकपुरी इलाके में गोपालबाड़ी में गोपाल टावर अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर हथियारबंद बदमाशों ने बिजनेसमैन के बेटे को फ्लैट में बंधक बनाकर 75 लाख रुपए लूट की घटना झूठ निकली है। वारदातों को परिवार के लोगों ने रुपए चोरी कर लूट की कहानी गढ़ दी थी।

- **पुलिस ने मामले में एक युवक को पकड़कर रुपए बरामद कर लिए है।**

राजधानी के विधायकपुरी इलाके में गोपालबाड़ी में गोपाल टावर अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर हथियारबंद बदमाशों द्वारा बिजनेसमैन के बेटे को फ्लैट में बंधक बनाकर 75 लाख रुपए लूट की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि बिजनेसमैन के बेटे ने और परिवार के ही अन्य लोगों ने मिलकर फ्लैट से रुपए बैग में भर के निकाले थे। बाद में बिजनेसमैन के बेटे ने पुलिस को लूट की झूठी कहानी बताकर गुमराह किया।

सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चैक करने पर एक युवक रुपए से भरा बैग ले जाता हुआ नजर आया। सख्ती से पूछताछ करने पर बिजनेसमैन के बेटे ने वारदात को खुलासा कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल युवक को सिंधी कैम्प से पकड़ लिया। वहीं उनके रिश्तेदार के यहां से रुपए रिकवर कर लिए। इससे पहले पुलिस ने बताया कि गोपालबाड़ी विधायकपुरी में गोपाल टावर अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर शराब और प्रॉपर्टी कारोबारी संतोष पूनिया का फ्लैट है। मंगलवार शाम को व्यापारी के फ्लैट पर उनका 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बेटा ही मौजूद था। शाम करीब 5 बजे लूट के मकसद से तीन बदमाश फ्लैट पर पहुंचे और बेल बजाई। इस पर बिजनेसमैन के बेटे ने गेट खोला।

गेट खुलते ही तीनों बदमाश हथियार दिखाकर अंदर घुस गए और गोली मारने की धमकी देकर रुपयों के बारे में पूछा। बदमाशों ने बिजनेसमैन के बेटे को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने अलमारी और तिजोरी में रखे 75 लाख रुपए एक बैग में रख लिए।

बदमाशों ने बालकनी से बैग को नीचे फेंक दिया और सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतर गए। कुछ दूरी पर खड़ी अल्टो कार में तीनों बदमाश रुपयों से भरा बैग डालकर फरार हो गए। पीड़ित शराब कारोबारी के बेटे ने पुलिस कंट्रोल रूम में लूट की सूचना दी। बदमाशों ने कार अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ी कर रखी थी। बदमाश करीब 10 मिनट में पूरी वारदात कर फरार हो गए।

लूट की सूचना मिलने पर विधायकपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाकाबंदी करवाने के साथ ही आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। पुलिस की कई टीमों को लुटेरों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टास्क दिया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लूट करने के तरीके और टाइमिंग को लेकर मामला संदिग्ध लगा। पुलिस को वारदात में नजदीकी रिश्तेदार के शामिल होने का शक है। बिजनेसमैन के बेटे ने जो घटना बताई वैसा कुछ सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आ रहा है। सीसीटीवी में एक 24-35 साल का युवक नजर आ रहा है, जो ट्रॉली बैग को आराम से ले जाते दिख रहा है।

शराब व्यापारी के पुत्र अर्जुन ने ही अपने साथी को राशि दी है और उसके बाद पुलिस को झूठी लूट की सूचना दे दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस ने व्यापारी के दोस्त को सिंधीकैंप से पकडा है। अब दोनों से आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। पड़ोसियों से पूछताछ में सामने आया है कि वारदात के बारे में उनको भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं लगी। चीखने की आवाज या शोर-शराबा नहीं सुना।

एन.टी.ए. और केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

जयपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2024 परीक्षा के परिणाम में धांधली, एनटीए की कार्यप्रणाली और सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुड़े मामले में एनटीए और केन्द्र सरकार से दस जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है।

अवकाशकालीन न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ की एकलपीठ ने यह आदेश तनुजा यादव व अन्य की याचिकाओं पर दिए। अदालत ने कहा कि प्रकरण में आठ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में एनटीए और केन्द्र सरकार दस जुलाई तक हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करें। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता को परीक्षा सेंटर पर पेपर आधा घंटे देरी से दिया गया और समय से पहले ही ले लिया गया। इस तरह उसे पेपर हल करने के लिए पूरा समय नहीं मिला। इसके अलावा नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद भी एनटीए परीक्षा के पेपर लीक नहीं मान रहा है। ऐसे में परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। दूसरी ओर सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुडी याचिका में कहा गया कि मानटाउन स्थित बालिका उच्च आदर्श विद्या मंदिर के परीक्षा केन्द्र में हिंदी के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर दिया गया। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक नहीं दिए गए। अब इस परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आई है।

निःशुल्क बीज मिनीकिटों का वितरण

जयपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा की अनुपालना में कृषि विभाग द्वारा प्रमुख खरीफ फसलों की उपज बढ़ाने के लिए खरीफ-2024 में कृषकों को ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ व मक्का की उन्नत किस्मों के बीज मिनीकिटों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि प्रदेश के 12 लाख किसानों को बीज के मिनीकिट वितरित किये जा रहे है।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या सलमा बेगम पत्नी स्व. बाबू खाँ, निवासी-3137, मोहल्ला महावतान, माता का मंड के पास, जयपुर का पुत्र इरफान असामाजिक तत्वों के बहकावे व उकसावे में अआकर मेरी अभिभाष्या के साथ गाली गलौच व मारपीट करता है, इसलिए मेरी अभिभाष्या उससे काफी दुखी हैं। मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र इरफान को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करते हुये उससे अपने सम्बन्ध समाप्त कर लिये है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरी अभिभाष्या के पुत्र से कोई लेन देन करेगा या सम्बन्ध रखेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरी अभिभाष्या की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब इरफान का मेरी अभिभाष्या की चल व अचल सम्पत्तियों में कोई हक व हिस्सा नहीं है। सूचित रहे।
जयपुर (पी.एम. खान) एडवोकेट
दिनांक-24.06.2024 मो.नं. 9351253799

खोया पाया

मेरा मकान 82/288 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, भौतिक कब्जा पत्र, जमा रसीद कहीं गुम हो गयी है मिलने पर सम्पर्क करें-निभा-9929522000

मेरे भूखंड संख्या एफएफ 100 योजना झालाना फेज थर्ड जयपुर का मूल आवंटन पत्र और कब्जा पत्र कहीं गुम हो गए है मिलनगे पर सूचित करें। नाम हर्ष कुमार एवं कौशल्या देवी मोबाइल नंबर 9462700288

नाम परिवर्तन

मैंने अपने नाम की स्पेलिंग Raheembaks से बदलकर Rahim Bux रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना/पहचाना जावें। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

मेरे पासपोर्ट नंबर एल-9560267 में मेरी जन्म तिथि 05.02.1989 के स्थान पर 18.01.1989 दर्ज हो गई है जो गलत है सही जन्म तिथि 05.02.1989 है। हंसराज वर्मा, पता गांव बालापुरा पोस्ट बावडी, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (304505)

मैंने अपना नाम कुलवीर सिंह से बदलकर कुलवीर सिंह सलूजा कर लिया है अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए, पता-फ्लैट नंबर 103, विनायक होम्स, विनायक विहार, पत्रकार रोड, गोल्यावास, जयपुर-302020

मैं, विपिन माथुर पुत्र मुकेश नारायण माथुर, निवासी 21, मेजर बन्ने सिंह कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर (राजस्थान) मैंने अपना नाम विपिन नारायण माथुर से बदलकर विपिन माथुर रख लिया है। भविष्य में मुझे विपिन माथुर के नाम से जाना जाएगा।

मै जे.सी. नं. 708993 एल रैंक नायब सूबेदार इंद्रजीत यादव जाति अहीर, निवासी गांव हुडिया खुर्द, तहसील बहरोड जिला अलवर मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी माता का नाम भतरी और जन्मतिथि 01.07.1956 सेना के रिकार्ड में गलत दर्ज है जबकि सही नाम भतेरी और सही जन्मतिथि है। यह 01.01.1944 है। अतः अब से मेरी माता का नाम भतेरी तथा जन्मतिथि 01.01.1944 मानी जाये।

मैं परमीला यादव पत्नी जे.सी. नं. 708993 एल रैंक नायब सूबेदार इंद्रजीत यादव जाति अहीर, निवासी गांव हुडिया खुर्द, तहसील बहरोड जिला अलवर मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पति के आर्मी रिकार्ड में मेरा नाम परमीला त्रुटिपूर्ण दर्ज है जबकि सही नाम परमीला यादव और जन्म तिथि है 16.06.1981 है, अब से मेरा नाम परमीला यादव ही सही माना जाए।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर - 0141-4901853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 2586 दिनांक 29/09/2008 जारी कर, आवास/फ्लैट संख्या-3-न-48, जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 260.49 वर्ग गज, श्री अनूप रंजन वर्मा एवं श्री आलोक रंजन वर्मा पुत्रांन स्व० श्री पारस नाथ वर्मा के संयुक्त नाम से किया गया था। श्री अनूप रंजन वर्मा की मृत्यु दिनांक 06/02/2024 को हो जाने के कारण उनके भाई श्री आलोक रंजन वर्मा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, पार्षद द्वारा जारी सजरा रिपोर्ट की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन एकल रूप से स्वं के पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अत उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री आलोक रंजन वर्मा पुत्र स्व० श्री पारस नाथ वर्मा के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेंगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर जयपुर
क्रमांक: 2456 **जाहिर आम सूचना** दिनांक:24.06.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 10/13 (MIG-A), (एरिया 90.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमतीमीरा देवी पत्नी श्री लालचन्द को किया जाकर आंवटन पत्र क्रमांक 803 दिनांक 30.05.2000 को जारी किया गया। तत्पश्चात आवास का नियमितिकरण श्री अजय सक्सैना पुत्र श्री रामचन्द्र सक्सैना के नाम पत्र क्रमांक 98 / 921 दिनांक 28.08.2001 के द्वारा इनके नाम किया गया था। श्री अजय सक्सैना द्वारा उक्त आवास में स्वयं के नाम के साथ पत्नी श्रीमती रेखा सक्सैना पत्नी श्री अजय सक्सैना का नाम जोड़ने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त आवंटन श्री अजय सक्सैना एवं श्रीमती रेखा सक्सैना के संयुक्त नाम से किया गया है। कार्यालय आदेश क्रमांक 1495 दिनांक 15.06.2006 के द्वारा मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज किया जाकर इनके पक्ष में पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहाँ दिनांक 25.10.2017 को पंजीकृत करवाये गये। श्री अजय सक्सैना एवं श्रीमती रेखा सक्सैना द्वारा श्रीमती मीता खुराना पत्नी श्री गौरव खुराना को दिनांक 31.10.2019 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती मीता खुराना द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 10.12.2019 के द्वारा श्रीमती गीता देवी बैरवा पत्नी श्री धन्ना लाल बैरवा के नाम विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक-चतुर्थ, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति स्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती गीता देवी बैरवा पत्नी श्री धन्ना लाल बैरवा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
भवदीय, संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

दिया कुमारी "वुमन टूरिज़्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, इंडिया" से सम्मानित

जयपुर, (कासं)। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री, पर्यटन दिया कुमारी को वूमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, इंडिया के सम्मान से आईटीबी बर्लिन जर्मनी में सम्मानित किया जाएगा। वहीं आईटीबी बर्लिन जर्मनी में ही राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ़ द ईयर- रॉयल एक्सपिरिएंसेस के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

- **राजस्थान पर्यटन को भी 'पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2025' से सम्मानित किया जाएगा**
- **दिया कुमारी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य देश और दुनिया में बन रहा पर्यटन का सिरमौर**

उपमुख्यमंत्री, पर्यटन दिया कुमारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग राजस्थान को देश ही नहीं दुनिया में पर्यटन का सिरमौर बनाने के लिए जुटा हुआ है। उपमुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विभाग के द्वारा देश और दुनिया के विभिन्न पर्यटन मंचों पर निरंतर प्रयास किया जाकर राजस्थान पर्यटन की ब्रांडिंग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मंशानुरूप कार्य करते हुए राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। इसी के फलस्वरूप पेसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स संगठन (पटवा) के द्वारा राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ़ द ईयर- रॉयल एक्सपिरिएंसेस के लिए वर्ष 2024 सम्मान के लिए चयनित किया गया है। यह अवार्ड पटवा के द्वारा आई टी बी बर्लिन 2025 में दिए जाएंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा आईटीबी बर्लिन जर्मनी मार्ट में प्रतिवर्ष भाग लिया जाता है। गत वर्ष पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिनिधि दल के साथ भाग लिया गया तथा जर्मनी एवं यूरोप के ट्रैवल एजेंटस के सामने राजस्थान के रॉयल एक्सपिरिएंसेज तथा पर्यटन उत्पादों की बेहतरीन ब्रांडिंग की गई। जर्मनी में स्थित भारतीय दूतावास में भी यूरोप और जर्मनी के ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स के साथ विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान पर्यटन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया। यह गतिविधि अत्यधिक प्रभावशाली रही और यूरोपीय टूर ऑपरेटर्स ने राजस्थान में अधिक से अधिक पर्यटकों को भेजने की मंशा जाहिर की।

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान पर्यटन के विभिन्न पहलुओं की देश और दुनिया में ब्रांडिंग उपमुख्यमंत्री पर्यटन दिया कुमारी के नेतृत्व में सघनता से की जा रही है।

Shri Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS)
13-A, Guru Nanak Path, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (India)
आम सूचना
श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की वार्षिक बैठक (वर्ष 2024-25) दिनांक 29.06.2024 को मालवीया नगर में प्रातः 11:00 बजे से रखी गई है। सभी सदस्य आमन्त्रित है। सचिव

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फ्लैट नम्बर एफ-04 फर्स्ट फ्लौर प्लाट नम्बर एफ-27 मंगलम सिटी, एफ-ब्लॉक, ग्राम-हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 615 वर्गफीट सम्पूर्ण को विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती कुसुम राठौड पत्नी श्री अजीत राठौड को दिनांक 06.09.2017 ईस्वी को क्रय किया था। तत्पश्चात श्रीमती कुसुम राठौड का स्वर्गवास जयपुर में हो गया था। एवं उनके पति का स्वर्गवास भी उनके जीवनकाल में ही हो गयाथा। इनके स्वर्गवास के पश्चात इनके दो पुत्रिया श्रीमती आकाश राठौड, सुश्री दिव्या राठौड एवं एक पुत्र श्री गुलशन राठौड इनके अलावा स्व. श्रीमती कुसुम राठौड के अन्य कोई वारिसान व उत्तराधिकारी नहीं है। तत्पश्चात श्रीमती आकाश राठौड, सुश्री दिव्या राठौड ने दिनांक 13.06.2024 ईस्वी को जरिये हक त्याग पत्र द्वारा श्री गुलशन राठौड को हक त्याग कर दिया गया एवं मेरे अभिभाष्या श्री निरंजन कांत शर्मा द्वारा आधार हाउसिंग फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड से गृह ऋण ले कर क्रय रखे है तथा उक्त ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अथोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 07 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।
सुरेश चन्द शर्मा, एडवोकेट, मो. 9214318413

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
5वी व 6वीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone: 0141-2741805 Email: rsehfjaipur@yahoo.com
क्रमांक-120/24 दिनांक- 20.06.2024
आम सूचना श्री सुनील कुमार विजय पुत्र श्री लक्खीराम गुप्ता निवासी 2-क-10, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर ने संघ द्वारा निर्मित दुकान संख्या 15, श्री विनोद कुमार पुत्र श्री श्याम लाल जैन एवं श्री विजय कुमार पुत्र श्री श्याम लाल जैन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया है, जिस किसी को उक्त दुकान हस्तान्तरण पर आपत्ति हो तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त दुकान संख्या-15 कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर श्री सुनील कुमार विजय पुत्र श्री लक्खीराम गुप्ता के नाम हस्तान्तरण कर दी जावेगी।
(ज्योति गुप्ता) प्रबंध निदेशक

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 52/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सुशील कुमार शर्मा केयर ऑफ रामवतार शर्मा झांझरावाला, दौसा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास सर्वागीण विकास संस्था, प्रतापगढ़ रोड थानागाजी अलवर के सम्बन्ध में अग्रिम में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 27.08.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, (फ.स.), चौमूँ (जयपुर)
क्रमांक-57-72 दिनांक-20.06.2024
निविदा सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस मण्डी समिति में निम्नलिखित व्यवस्थायें/कार्य करवाने हेतु ठेके देने के लिये इछुक निविदादाता/बोलीदाता फर्मो/व्यक्तियों से निविदायें/बोली आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र. सं.	कार्य/व्यवस्था का नाम	ठेके की अवधि	ठेके हेतु प्रकिया	नीलामी बोली दिनांक एवं निविदा खोलने की दिनांक
1	जल एवं प्रकाश व्यवस्था के संचालन हेतु	एक वर्ष	निविदा	28.06.2024
2	जलपान ठेला स्थान संख्या 4,5,6	एक वर्ष	खुली निलामी बोली	12.07.2024

जल एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 12.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष खोला जायेगा। तथा नीलामी बोली दिनांक 12.07.2024 को उसी दिन दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जायेगी। निविदा/नीलामी से सम्बन्धित अन्य विस्तृत विवरण, शर्ते व जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाई www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन की जा सकती है।
NIB- DAM2425A0117
सचिव प्रशासक

तीन विदेशी चिकित्सा स्नातकों के इंटर्नशिप आदेश निरस्त

जयपुर, (कासं)। राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर ने तीन विदेशी चिकित्सा स्नातक अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी होने के कारण उनके इंटर्नशिप आदेशों को निरस्त किया है।

राज्य में विदेशी चिकित्सा स्नातक छात्रों को इंटर्नशिप कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मई-2024 में जारी सूची के प्रमाणीकरण के दौरान तीन विदेशी चिकित्सा स्नातक छात्र फर्जी पाए गए। इनके इंटर्नशिप आदेशों को निरस्त किया गया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज कुमार मीणा, अंकुर कुमार और हिमांशु चौहान के इंटर्नशिप आदेशों को निरस्त किया गया है, साथ ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को उक्त सभी फर्जी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

भाजपा 25 जून को भारतीय लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में मनाएगी

जयपुर, (कासं)। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि भाजपा 25 जून को भारतीय लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में मनाएगी। 25 जून के दिन ही 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'आपातकाल' की घोषणा की थी। भाजपा संविधान का सम्मान करती है जबकि संविधान की हत्या का काम कांग्रेस पार्टी ने कई बार किया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपातकाल है। ऐसे में भाजपा प्रदेशभर में सभी जिला मुख्यालयों पर विचार संगोष्ठी आयोजित करेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी ने बताया कि भाजपा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस काले दिन के अवसर पर विचार संगोष्ठी का आयोजन करेगी। इस दौरान प्रबुद्ध जन, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, विद्यार्थी, नौजवान सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थिति रहेंगे। इस गोष्ठी में भाजपा की ओर से सभी पदाधिकारियों को जिला अनुसार जिम्मेदारी दी गई है। इसमें भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर बतौर मुख्य अतिथि दौसा जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेगी। वहीं जयपुर शहर में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक ओंकार सिंह लखावत, जयपुर देहात उत्तर में राज्यसभा सांसद मदन राठौड, जयपुर देहात दक्षिण में प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसी तरह पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया नागौर, अरूण चतुर्वेदी टोंक, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा भीलवाडा, सीआर चौधरी चित्तौडगढ़, प्रभुलाल सैनी कोटा शहर, प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत चूरू, ओमप्रकाश भडाणा झुंझुनूं, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया हनुमानगढ, वासुदेव चावला सीकर, भूपेंद्र सैनी अलवर उत्तर और आईदान सिंह भाटी जोधपुर देहात उत्तर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी या अन्य प्रभारी मौजूद रहेंगे।

- **प्रदेश की सभी जिला मुख्यालयों पर होगी विचार संगोष्ठी**
- **25 जून के दिन ही 1975 में 'आपातकाल' की घोषणा की थी**

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री निदान सिंह उम्र 74 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 413 आदोन नगर-ए, दुर्गापुरा, जयपुर का है तथा मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र महेश चौधरी व पुत्री श्रीमती प्रियंका चौधरी पत्नी श्री प्रकाश चौधरी व पत्नी श्रीमती मीरा चौधरी के द्वारा मेरे अभिभाष्य को हैरान व परेशान किया जा रहा था तथा मेरे अभिभाष्य की देखभाल, सेवा-सुश्रुषा काफी वर्षो से नहीं कर रहे है जिस कारण मेरे अभिभाष्य इन पुत्र, पुत्री व पत्नी का मेरे अभिभाष्य के साथ कोई संबंध व सरोकार नहीं है और ना ही मेरे अभिभाष्य की चल व अचल सम्पत्ति में इन तीनों का कोई अधिकार नहीं है। मेरे अभिभाष्य के इन तीनों पुत्र,पुत्री व पत्नी के द्वारा किये गये किसी भी कृत्य संव्यवहार व लेन देन के लिए मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। महेश चौधरी, प्रियंका चौधरी व श्रीमती मीरा चौधरी से मेरे अभिभाष्य का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। इन तीनो में कोई विवाद भी होता है तो इसमें मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा मेरा अभिभाष्य इन तीनो को अपनी चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करता है तथा मेरी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का मालिक मेरा पुत्र सोहन सिंह चौधरी रहेगा। मैंने पंजीकृत बख्शीशनामा प्लाट नं. 413 आदोन नगर-ए, जयपुर नगर चौकडी हवाली शहर का सोहन सिंह चौधरी के हक में दिनांक 12.07.2019 को कर दिया है यह मालिक व कब्जाधारी बना दिया है। सूचित रहे।
जयपुर (अशोक कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-24.06.2024 मो.नं. 9314004218

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज), चौमूँ (जयपुर)
क्रमांक-173-83 दिनांक- 20.06.2024
निविदा सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस मण्डी समिति में निम्नलिखित व्यवस्थायें/कार्य करवाने हेतु ठेके देने के लिये इच्छुक निविदादाता फर्मो से दिनांक 28.06.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य/व्यवस्था का नाम	ठेके की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू. में)
1	जल एवं प्रकाश व्यवस्था के संालन हेतु	एक वर्ष	2.00

प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 1.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं यदि कोई उपस्थित हों) के समक्ष खोला जायेगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य विस्तृत विवरण निविदा शर्ते व जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर तथा किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन की जा सकती है।
NIB-DAM2425A0114
सचिव प्रशासक

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बानसूर (अलवर)
Email: kums.bansur@rajasthan.gov.in
क्रमांक-55-57 दिनांक-24.06.2024
खुली बोली आमंत्रण सूचना
01.07.2024 से 30.06.2024 तक कृषि उपज मण्डी समिति बानसूर में मुख्य मण्डी प्रागंण व फल-सब्जी ब्लॉक बानसूर में सुरक्षा व्यवस्था/कम्प्यूटर ऑपरेटर की आपूर्ती/सफाई व्यवस्था/विद्युत रख रखाव व्यवस्था व कियोस्क (जल पान) ठेका (अनाज मण्डी) एवं (फल सब्जी मण्डी) के कार्य हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक, दर संविदा किए जाने हेतु खुली बोली इच्छुक बोलीदाताओं से दिनांक 27.06.2024 समय 5.00 बजे तक खुली बोली आमंत्रित की जाती है। बोली आमंत्रण सूचना बोली/निविदा प्रपत्र और शर्ते राजस्थान लोक उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय पोर्टल http://agriculture.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। बोली की अनुमानित लागत क्रमश 12.00 लाख व 2.50 लाख व 6.00 लाख एवं 2.00 लाख
UBN NO. DAM2425SLOB00199/ DAM2425SSOB00198/ DAM2425SSOB00200/ DAM2425SSOB00201
NIB NO. DAM2425A0074
(प्रीति शर्मा) सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति, बानसूर

दिया कुमारी आज सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगी

जयपुर, (कासं)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को 36.62 करोड़ लागत से बन रहे सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट शिलान्यास करेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत सीकर रोड पर मुरलीपुरा से द्रव्यवती नदी तक नये नाले का निर्माण किया जायेगा, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सीकर रोड पर मानसून में पानी के भराव की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल पायेगी।

- **इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सीकर रोड पर मानसून में पानी के भराव की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल पायेगी**

अधिकारियों के मुताबिक़ अगले साल जून महीने तक सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जायेगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के सतत प्रयासों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 26.52 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर दिये हैं। सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट के पहले चरण में 16.09 करोड़ की लागत से सीकर रोड के पूर्वी तरफ तथा 20.53 करोड़ की लागत से सड़क की पश्चिमी दिशा में नाले का निर्माण किया जायेगा। दूसरे चरण में वीकेआई से सेन्ट्रल स्पाईन होते हुए बड़ी-खेड़ा और मुरलीपुरा में 19.21 करोड़ की लागत से नालों का निर्माण करवाया जायेगा।

इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में 13.29 करोड़ की लागत से बाईपास रोड औऱ खेतान अस्पताल के पीछे नाले का निर्माण करवाया जायेगा। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर से विधायक बनने के तुंरत बाद ही इलाक़े में जल भराव की ज्वलंत समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास शुरु कर दिये थे, जो अब रंग लाने लगे हैं। दिया कुमारी ने कहा कि जनता से जितने भी वादे किये है उन्हें समयबद्ध तरीक़े से पूरा करने के लिए वे कटिबद्ध हैं।

दिया कुमारी के विधायक बनने के बाद विद्याधर नगर क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। इनमें सेतूबंधन योजना के तहत 86.89 करोड़ लागत से नाड़ी का फाटक पर फ़ोरलेन ओवर ब्रिज, सीतावाली फाटक औऱ बनाड फाटक के बीच 14.37 करोड़ की लागत से आरयूबी, 200 करोड़ की लागत से रोड नंबर 14 से टोडी मोड़ तक हाईवे के दोनों ओर सर्विस लेन, नींदड मोड़ औऱ टोड़ी मोड़ पर अंडरपास का निर्माण शामिल है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जगमग हैरिटेज

नगरीय विकास कर संबंधित आपत्ति का घर बैठे समाधान

जागो जयपुर जगमग जयपुर

नगर निगम हैरिटेज में स्थित सम्पत्तियों पर नगरीय विकास कर देय हैं जिसकी समस्त जानकारी www.rajmuncipal.com पर उपलब्ध हैं। यदि आपकी संपत्ति के कर निर्धारण से संबंधित कोई आपत्ति / त्रुटि है जैसे की क्षेत्रफल, डी.एल.सी, वास्तविक उपयोग, मंजिलो की संख्या, नाम व पता आदि का अब घर बैठे ही www.rajmuncipal.com पर अपनी ऑनलाईन आपत्ति दर्ज कर समाधान करवा सकते है, जिसका निर्धारित समयावधि पर समाधान कर सूचित किया जायेगा। आपकी आपत्ति के समाधान के लिए नगर निगम द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं आपकी संपत्ति पर उपस्थित होकर आपसे आपकी संपत्ति की जानकारी प्राप्त करेगा। आप अपने बकाया नगरीय विकास कर की राशि का भुगतान UPI, NET BANKING, RTGS, Credit card & Debit card के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते है यदि आप चैक के माध्यम से करवाना चाहते है तो नगर निगम द्वारा अधिकृत फर्म स्पैरो सॉफटेक प्रा.लि. के मोबाइल नं. 9905900627 पर फोन कर संग्रहण कर्ता को घर बुलाकर अपनी बकाया राशि जमा करा सकते है।

आयुक्त
नगर निगम, हैरिटेज जयपुर

जिम्मेदार नागरिक बने
आज ही अपना यू.डी. टैक्स चुकायें

महापौर
नगर निगम, हैरिटेज जयपुर